

प्रारूप-8

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
 (चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कॉर्ट से स्नातक पाठ्यक्रम में
प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)
बंध-पत्र

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1— मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

2— मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

3— मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि :—

i) सीट लिविंग बॉण्ड-

अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉड राशि ₹0 30,00,000/- (₹0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूं /देती हूं अथवा निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा।

ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड-

अ— मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगा/करूंगा।

ब— विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को ₹0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) ₹0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन, देती/देता हूं।

स— अन्य पिछळा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हैं। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हैं। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

अध्यवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हैं। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा ₹0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हैं। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

- 1.....
- 2.....

// सूचना //

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध
पत्र के संबंध में

आम्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अम्यर्थी जिन्होंने प्रवेश के पश्चात द्वितीय चरण अथवा मॉप अप हेतु अपग्रेड होने का ऑप्शन दिया है को ₹0 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अधिष्ठाता संबंधित महाविद्यालय के नाम पर निष्पादित करें, कि अम्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा एवं सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र (प्रारूप-8) पर निष्पादित करेगा।

21-06-19
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
२१६/१९